

राज्य वशिष्ट योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, हरियाणा ने **पराली दहन** की समस्या से निपटने के लिये **राज्य वशिष्ट योजना** शुरू की है, जिसका उद्देश्य फसल कटाई के मौसम के दौरान **वायु गुणवत्ता** को बनाए रखना है।

प्रमुख बिंदु

- **राज्य वशिष्ट योजना:**
 - हरियाणा की **राज्य वशिष्ट योजना** किसानों के लिये प्रोत्साहन और संसाधनों के माध्यम से **पराली दहन** में कमी लाने पर केंद्रित है, तथा मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को लक्षित किया गया है जहाँ धान की कटाई के बाद पराली अवशेष के रूप में बचती है।
- **सब्सिडी और संसाधन:**
 - सरकार पर्यावरण अनुकूल नपिटान वधियों को बढ़ावा देने के लिये फसल अवशेष प्रबंधन के लिये **हैपपी सीडर्स और सुपर SMS ससिटम** जैसे उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करती है।
- **दंड और पुरस्कार:**
 - पराली दहन के नयिमों का उल्लंघन करने पर कठोर जुर्माना लगाया जाता है, साथ ही नयिमों का पालन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन भी दिया जाता है, जिसका उद्देश्य दंडात्मक और सहायक उपायों के बीच संतुलन स्थापित करना है।
- **पर्यावरणीय लक्ष्य:**
 - यह पहल **सतत कृषि प्रदूषण** को बढ़ावा देने, **वायु प्रदूषण** को कम करने और **श्वसन संबंधी स्वास्थ्य जोखिमों** को कम करने के माध्यम से **राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों** के अनुरूप है।

पराली दहन के विकल्प

- **पूसा डिकंपोजर:** ये **डिकंपोजर** कवकों के उपभेदों को निकालकर बनाए गए कैप्सूल के रूप में होते हैं जो धान की पराली को बहुत तेज़ी से वघित करने में मदद करते हैं।
- **हैपपी सीडर:** यह ट्रैक्टर पर लगाया जाने वाला उपकरण है जो पराली दहन का पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करता है।
 - यह चावल के भूसे को काटकर और उठाकर, साथ ही साथ खुली मृदा में गेहूँ की बुवाई करके, तथा भूसे को बोए गए क्षेत्र पर सुरक्षात्मक मलच के रूप में जमा करके काम करता है।
- **पैलेटाइजेशन:** धान की पराली को जब सुखाकर पैलेट में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो यह एक व्यवहार्य वैकल्पिक ईंधन स्रोत बन जाता है।
 - कोयले के साथ मशरूति करने पर इन पैलेट का उपयोग ताप वदियुत संयंत्रों और उद्योगों में किया जा सकता है, जिससे कोयले के उपयोग में बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।